न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर

पीठासीन – अधिकारी सुश्री नवज्योति कंवरिया, आर०ए०एस०

	तारीख रज्जू	निर्णय दि०
ि०	16.09.2020	07.05.2024
115		

चाहत पुत्र श्री हसना निवासी ग्राम डांढा, तहसील व जिला अलवर ....वादी

बनाम

ईसब पुत्र श्री इद्दू व अन्य निवासी ग्राम डांढा, हाल निवासी ग्राम भटपुरा तहसील नगर जिला भरतपुर, राजस्थान ....प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अभिभाषकगण–

श्री अमरसिंह यादव अधिवक्ता ....वादी (प्रार्थी)

श्री रामकिशन गुर्जर अधिवक्ता....................प्रतिवादी (अप्रार्थी)

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 1 मिन 3 बीघा 2 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 0.78 है० वाके ग्राम डांढा तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जो कि प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी है। उक्त आराजी श्री रामगोपाल पुत्र श्री गुटटा महाजन निवासी ग्राम कैरवाजाट की खातेदारी की आराजी थी, जिस पर उसका कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार के चला आ रहा था। श्री रामगोपाल ने विवादित आराजी को जरिये दस्तावेज बयनामा श्री सम्पत्त खॉ पुत्र श्री निजरू खॉ मेव निवासी ग्राम डांढा को विक्रय कर दिया और समस्त विक्रयशुदा राशि प्राप्त करके बाजाप्ता विक्रय पत्र निष्पादन व पंजीयन करा दिया तथा कब्जा आराजी उक्त क्रेता श्री सम्पत्त खॉ को दे दिया। जिस पर तभी से श्री सम्पत्त खॉ का ... खातेदार के दर्ज चला आ रहा था और इन्तकाल खातेदारी भी उसके नाम दर्ज व ... कर दिया गया। तत्पश्चात श्री सम्पत्त खॉ ने विवादित आराजी ... कब्जा काश्त खातेदारी आदि सहित जरिये दस्तावेज बयनामा तहरीरी दिनांक 13.09.1993 तस्दीकी दिनांक ...09. 1993 जो उप पंजीयक महोदय अलवर के यहां दिनांक 13.09.1993 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 469 पृष्ठ संख्या 07 व 08 व क्रम संख्या 1224 पर पंजीबद्ध किया गया है, ... के हक में विक्रय कर दी और समस्त विक्रयशुदा राशि वादी से प्राप्त करके विवादित ... खातेदारी भी वादी के नाम दर्ज व

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

कारी अलवर ने दावा करने और उसके उक्त आराजी में दावा करने आदि के कोई कार होना माना ही नही और इसी क्रम में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान(अजमेर) माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा भी कोई अनुतोष वादी चाहत को नहीं दिया उसके न्यायालय श्रीमान सहायक जिलाधीश महोदय अलवर में दावा पेश करने का कोई कार चाहत को प्राप्त नहीं है दावा खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी के पिता स्व0 ईदू के नाम जमाबंदी 2026 खसरा नंबर 1 पर 6 बीघा चार बिस्वा में सा0 देह गैर तेदार पट्टेदार(कस्टोडियन) दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा गिरदावरी 2030, 2031, 2032, 2033 ईदू खसरा नंबर 1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में काश्तकार दर्ज है। जमाबंदी भू प्रबन्ध टीलमेन्ट) विभाग संख्या 2020 खतौनी में ईदू पुत्र श्री भोला पट्टेदार होना दर्ज है। सरा गिरदावरी 2028 से 2030 में ईदू पुत्र भोला फकीर सा0 देह पट्टेदार काश्तकार होना है। जमाबंदी 2026 में खसरा नंबर 1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा का सा0 देह पट्टेदार ईदू श्री भोला होना दर्ज है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2031 ला0 2033 व सम्वत् 2043 सं0 45 तक में खसरा नंबर 1 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा में ईदू पुत्र श्री भोला फकीर द्वारा श्त किया जाना दर्ज है। सभी राजस्व रेकार्ड से साबित है कि वादी ने मिथ्या प्रकार से गोपाल पुत्र श्री गुटटी का कब्जा बताया है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। यालय उपखण्ड अधिकारी अलवर में वादी ने 1994 के किस वाद का जिक्र किया किन उस दावे का क्या हुआ दर्ज नहीं किया और सन् 1994 के बाद वर्तमान वाद 2019 किया जाना प्रकट होता है जो 25 वर्षो के बाद किया जाना बताया है। जिससे भी स्पष्ट कि वादी का वाद बेमायना बेबुनयाद व मिथ्या है। अदालत कैम्प कोर्ट खेडली सैयद ने 7.06.2018 को वादी का वाद खारिज किया है जिसकी अपील भी वादी ने दायर नहीं गे। प्रतिवादी की दिनांक 20.01.2019 को कोई बात वादी से नहीं हुई। वादी के विवादित गराजी पर ना तो कब्जा है ना कोई विधिक अधिकार है। विवादित आराजी पर तिवादीगण का विधिक अधिकार है व कानूनन हक हासिल है। वादी का ना तो कोई थत दृष्टया केस है ना नापूर्ति होने वाली क्षति, ना सुविधा का सन्तुलन वादी के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थी का प्रा0 पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार फरमावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि वादी आराजी खसरा नंबर 1 मिन रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 01 रकबा 0.78 है0 वाके ग्राम डाढा तहसील व जिला अलवर श्री रामगोपाल पुत्र गुटटा महाजन निवासी ... की खातेदारी की आराजी थी जिस पर उसका कब्जा बतौर खातेदार के चला आ रहा था। जिस बाबत समस्त कागजातमाल में रामगोपाल के नाम बतौर खातेदार के नाम चला आ रहा था। रामगोपाल ने जर्ये दस्तावेज बयनामा दिनांक 27.02.89 को सम्पतखां पुत्र ... मेव ग्राम डाढा को विक्रय कर दिया और कब्जा आराजी पर सम्पतखां को दे दिया जिस पर सम्पतखां का कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार के चला आ रहा था। सम्पतखां ने विवादित आराजी को बमय कुल हक हकूक कब्जा काश्त खातेदारी आदि सहित जर्ये दस्तावेज बयनामा चाहत पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

ा को दिनांक 13.09.1993 जो उप पंजियक अलवर के यहां पंजीबद्ध करा दिया और से वादी आराजी पर निरन्तर काबिज चला आ रहा है जिसका इन्तकाल सं0 15 क 04.01.94 वादी के नाम मंजूर व दर्ज हो चुका है व कागजातमाल में वादी का नाम खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का खेडली सैयद का मौका पर्चा दिनांक 13.01.2022 से है कि आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 0.78 है0 किस्म बारानी चाहत पुत्र हसना मेव ाम सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर वर्तमान में उक्त आराजी में सरसों की बोई हुई है। जो चाहत पुत्र हसना द्वारा बोई गई है। समस्त कागजातमाल में सन से आज तक यानि लगभग 30 वर्ष से निरन्तर काबिज काश्तकार खातेदार की यत से करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय कलक्टर कम सैटलमेन्ट श्नर अलवर में प्रस्तुत अपील में वादी को पक्षकार नहीं बनाया गया। इसलिए उच्च ालय द्वारा अपने आदेशो में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी को ार बनाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जो नहीं दिया गया है। इसलिए दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति प्रार्थी के पक्ष में साबित जाती है।

अतः ताफैसला वाद प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द ा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो संलग्न वाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 07.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया ।

(सुश्री नवज्योति कंवरिया)
आरएएस
सहायक कलक्टर अलवर

सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Navjyoti Kanwaria
Date: 2024.06.03 10:50:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner